

प्रथम सूचना रिपोर्ट  
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला—चौकी ए0सी0बी0 कोटा थाना—प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर  
प्र0सू0रि0संख्या ..... 77/2022 दिनांक..... 09/09/2022
2. (i) अधिनियम—भ्र0नि0अधि0. धारायें— 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018  
(ii) 'अधिनियम...भा.द.स. ....' धारायें—  
(iii) 'अधिनियम.....' धारायें—  
(iii) 'अन्य अधिनियम धारायें.....
3. (अ) रोजनामचाआमरपट संख्या..... 131 समय..... 6.00 P.M.  
(ब) अपराध घटने का दिन 28.11.2021  
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 28.11.2021 समय 11.00 ए.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक— लिखित
5. घटनास्थल:— थाना गेण्डोली, बून्दी  
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:— उत्तर पश्चिम 51 कि.मी.  
(ब) पता— थाना गेण्डोली, बून्दी ..... बीट संख्या..... जरायम देही संख्या.....  
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो  
पुलिस थाना..... जिला .....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :—  
(अ) नाम:— श्री लालचन्द  
(ब) पिता का नाम — श्री कालूराम जोगी  
(स) जन्म तिथि/ वर्ष 34 वर्ष  
(द) राष्ट्रियता.— भारतीय  
(य) पासपोर्ट संख्या..... जारी होने की तिथि..... जारी होने की जगह.....  
(र) व्यवसाय— संविदाकर्मी  
(ल) पता—खाटकलॉ थाना सुरवाल तहसील/ जिला सवाईमाधोपुर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :—  
श्री धनसिंह बंजारा, ए0एस0आई0 थाना गेण्डोली, बून्दी

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण:— शून्य
9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य— 8,000 रु
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो).....
12. विषयवस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :—

महोदय, प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 28.11.2021 को मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान को श्री टाकुर चन्द्रशील कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी कोटा द्वारा उनके कक्ष में बुलाकर उनके पास उपस्थित परिवादी श्री लालचन्द पुत्र कालूराम जोगी उम्र 34 वर्ष जाति जोगी (नाथ) निवासी खाटकलॉ थाना सुरवाल तहसील/ जिला सवाईमाधोपुर से मेरा आपसी परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा उन्हे पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री लालचंद मय प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी कोटा के निर्देशानुसार परिवादी श्री लालचंद के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखना बताया जो इस आशय का है कि "मैं लालचन्द जोगी पुत्र कालूराम जोगी उम्र 34 वर्ष जाति नाथ निवासी खाटकलॉ थाना सुरवाल तहसील/ जिला सवाईमाधोपुर का रहने वाला हूँ। मेरे सुसुर श्री नाथूलाल योगी पुत्र हजारीलाल योगी (ग्राम विकास अधिकारी) नोताडा धरावत पंचायत समिति केशोरायपाटन जिला बून्दी में कार्यरत थे। जिनकी कोरोना के तहत दिनांक 30.04.2021 को मेरे पास सामान्य चिकित्सालय सवाईमाधोपुर में मृत्यु हो गई है और मेरी सास मोहर बाई की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती है मेरे ससुर के बाद मेरी सास मोहर बाई की दिमागी हालत ओर ज्यादा खराब है। मेरी पत्नि हेमलता योगी मेरे सुसराल की सबसे बड़ी सदस्य है। इसलिये सुसराल संबंधित कार्य में ओर मेरी पत्नि हेमलेता देखती है ओर मेरी पत्नि से छोटे तीन साले है महेश कुमार योगी, लोकेश योगी, रणजीत योगी है। जिसमे से मेरे बडे साले महेश योगी ने मेरे ससुर की

मृत्यु के बाद मेरे सुसुर के खाते से लगभग दो लाख रुपये तथा मेरी सास मोहर बाई के खाते से लगभग चार लाख रुपये ऑनलाईन निकाल लिये। जो मेरे बड़े साले महेश ने चालाकी व बदनियति से 6 लाख रुपये के लगभग पैसे ऑन लाईन स्वयं महेश योगी ने खाते में ट्रांसफर कर लिये। जिसकी सूचना मेरी पत्नि को मेरे दोनो छोटे साले लोकेश व रणजीत ने बताया। जिसकी सूचना मेरी पत्नि हेमलता व छोटे साले लोकेश व रणजीत ने दिनांक 28.07.2021 को थाना गण्डोली को दी तो मेरे बड़े साले महेश पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की गई उसके बाद मेरी पत्नि हेमलता व छोटे साले लोकेश व रणजीत ने न्यायालय बून्दी से खाते में लेनदेन बंद करवा दी। उसी के आवेश में आकर मेरे बड़े साले महेश योगी ने उसकी पत्नि मौसमी बाई से मारपीट व छेड़छाड़ की झूठी रिपोर्ट थाना गण्डोली में दी जिस पर दिनांक 30.09.2021 को ए0एस0आई0 धनसिंह बंजारा थाना गण्डोली ने पारिवारिक मामला होने से हमारे बीच राजीनामा करवा दिया किन्तु मेरे बड़े साले महेश योगी ने कोर्ट से मेरे खिलाफ उसकी पत्नि मौसमी बाई से मारपीट व छेड़छाड़ करने का मुकदमा थाना गण्डोली में दर्ज करवा दिया जिसकी जांच धनसिंह बंजारा ए0एस0आई0 कर रहा है। ए0एस0आई0 धनसिंह बंजारा मुझे उक्त झूठे मुकदमे में राहत देने की एवज में मुझे 20000/- रुपये की बार बार मांग कर रहा है। मेरे द्वारा 20000/- रुपये नहीं देने पर मुझे थाने पर बुलाकर बन्द करने की धमकी दे रहा है जबकि मेरे साले ने उसकी पत्नि से झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। मैं एएसआई धनसिंह बंजारा को (थाना गण्डोली जिला बून्दी) को रिश्वत राशि 20000/-रुपये अक्षरे बीस हजार रुपये नहीं देकर उसको रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी एएसआई धनसिंह बंजारा से कोई उधार व लेनदेन बाकि नहीं है ना हि कोई दुश्मनी है। अतः महोदय से निवेदन है कि एएसआई धनसिंह बंजारा पर कार्यवाही करने की कृपा करे।

परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। इस पर परिवादी श्री लालचन्द का परिचय श्री भरत सिंह कानि0 515 से करवाया गया तथा मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर निकलवाया जाकर, परिवादी को चालू व बन्द करने की विधि समझाई तथा आरोपी से अपने कार्य व रिश्वत राशि की मांग के संबंध में स्पष्ट वार्ता करने तथा उक्त आरोपी धन सिंह बंजारा सहायक उप निरीक्षक से होने वाली वार्ता को डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करने की समझाईश की। इस पर परिवादी ने बताया कि मुझे उक्त आरोपी धनसिंह बंजारा ने दिनांक 30.11.2021 को थाना गण्डोली पर बुलाया है मैं दिनांक 30.11.2021 को सीधा थाना गण्डोली जिला बून्दी पर आ जाऊंगा, आप श्री भरत सिंह जी को डिजीटल वाईस रिकार्डर लेकर ग्राम गण्डोली भेज देना। इस पर भरत सिंह को उक्त दिनांक को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर परिवादी श्री लालचंद से सम्पर्क कर परिवादी के बताये स्थान पर पहुंचने हेतु पाबन्द किया गया। परिवादी श्री लालचन्द को गोपनीयता बनाये रखने तथा उक्त दिनांक 30.11.2021 को सीधे ही थाना गण्डोली जिला बून्दी के आसपास मिलने के आवश्यक निर्देश देकर रुकसत किया गया। भरत सिंह कानि0 515 को कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी श्री लालचन्द से सम्पर्क करके उसके बताये स्थान पर पहुंचकर, परिवादी को पुनः डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू व बंद करने की विधि समझाकर आरोपी धनसिंह बंजारा सहायक उप निरीक्षक थाना गण्डोली के पास रिश्वत संबंधी वार्ता करने के निर्देश दिये गये। जिसकी फर्द सुपुर्दगी पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गयी। श्री भरत सिंह कानि0 515 को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के कार्यालय हाजा से थाना गण्डोली जिला बून्दी के लिये रवाना किया गया। श्री भरत सिंह कानि. 515 मय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के वापस कार्यालय हाजा उपस्थित आया। श्री भरत सिंह कानि0 515 ने मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान को सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सोनी कम्पनी का पेश किया तथा बताया कि आज परिवादी श्री लालचंद व उनकी पत्नि हेमलता मुझे थाना गण्डोली जिला बून्दी से कुछ दूरी पहले ही मिल गये थे। मैंने परिवादी श्री लालचंद को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू व बंद करने की विधि समझाकर डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द कर दिया था। परिवादी श्री लालचंद मय उनकी पत्नि हेमलता के डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करके थाना गण्डोली जिला बून्दी के अन्दर चले गये थे। मैं थाने के आस पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुक़िम हो गया था। थोड़ी देर बाद परिवादी लालचंद मेरे पास आया ओर उसने डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड बंद हालत में मुझे देकर बताया कि मैं थाने के अन्दर गया था लेकिन वंहा मुझे धनसिंह बंजारा सहायक उप निरीक्षक नहीं मिला जिस पर मैंने उनके फोन लगाकर बात की तो उन्होंने कहा कि मैं तो बून्दी आ गया हूँ बाद में आ जाना मैंने कहा फिर टाइम नहीं मिलेगा तो उन्होंने कहा की मैं बुला लूंगा आज थाने पर कोई नहीं हैं मैं बून्दी आ गया हूँ तथा बुधराम भी वंहा नहीं हैं तथा थानेदार जी भी नहीं हैं इसलिए बाद में आ जाना इत्यादि वार्ता होने के बाद मैंने रिकॉर्डर बन्द कर दिया था तथा रवाना होकर आपके पास आ गया। फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 02.12.2021 को परिवादी के कहे अनुसार पुनः श्री भरत सिंह कानि0 515 को कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर